मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ–19–32/2011/1/4 भोपाल, दिनांक 21/3/2011

:: आदेश ::

संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा राज्य के लेखों एवं राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों का अंकेक्षण किया जाता है । अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई आपत्तियों के समयबध्द निराकरण एवं इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ–19–70/2009/1/4 दिनांक 22.04.2009 द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में शीर्ष स्तरीय समिति का गठन किया गया था । राज्य शासन द्वारा उक्त समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

1.	मुख्य सचिव,	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	स्थाई सदस्य
4.	प्रधान महालेखाकार, म0प्र0	स्थाई सदस्य
5.	प्रमुख सचिव /सचिव, जल संसाधन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव /सचिव, गृह विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव /सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव /सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव /सचिव, वाणिज्य कर विभाग	सदस्य
10.	संचालक बजट (वित्त विभाग)	सदस्य,सचिव

2/ उपरोक्त शीर्ष स्तरीय समिति के निम्नलिखित कार्य होगें:–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा किये गये प्रदेश के लेखों एवं राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों के अंकेक्षण पर उठाई गई आपत्तियों के समयबध्द निराकरण की कार्यवाहियों की समीक्षा ।
2. अंकेक्षण आपत्तियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये आवश्यक उपाय एवं निर्देश दिया जाना ।
3. विभागीय अंकेक्षण समितियों के सुझावों/प्रस्तावों पर विचार किया जाना ।
4. लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली विभागीय जानकारी/प्रत्युत्तर विभागों द्वारा निर्धारित समय सीमा में उत्तर प्रस्तुत न किए जाने पर प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना एवं आवश्यक निर्देश देना ।
5. लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की समीक्षा किया जाना ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश कौल)
उप सचिव
म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 एफ—19—32/2011/1/4 भोपाल, दिनांक 21/3/2011

प्रतिलिपिः—

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य गण/सदस्य सचिव ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन ।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
4. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल ।
5. वित्त विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग

21.3.2011

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल–462004

कमांक: 1966 / 1570 / 2011 / 1 / 4 भोपाल, दिनांक: 16 / 05 / 2011

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
मध्य प्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः– कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर द्वारा राज्य लेखों में उठाई गई अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण बावत ।

संदर्भः– वित्त विभाग का पत्र कमांक 157 / आर.184 / ब–1 / चार / 2009, दिनांक 05.03.2009

संदर्भित पत्र द्वारा महालेखाकार म0 प्र0 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में संवैधानिक प्रावधानो के अधीन उठाई गई आपत्तियों के समयबद्ध निराकरण एवं इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये विभागीय अंकेक्षण समितियों के गठन की कार्यवाही संबंधी निर्देश जारी किये गये थे।

महालेखाकार मध्यप्रदेश के परामर्श पर राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार विभागीय अंकेक्षण समितियों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है :–

(क)	प्रमुख सचिव / सचिव (विभागीय)	अध्यक्ष
(ख)	संबंधित सभी विभागाध्यक्ष	सदस्य
(ग)	वित्त विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	वरिष्ठ उपमहालेखाकार	सदस्य
(ड)	विभागीय उप सचिव	सदस्य सचिव

उपरोक्त विभागीय अंकेक्षण समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

1/ विभागीय समिति महालेखाकार के समस्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों पर संबंधित कार्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही / उत्तर / पालन प्रतिवेदनों की समीक्षा करेगी।

2/ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की निचले स्तर पर निराकृत नहीं हो पा रही हैं लम्बित कण्डिकाओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही ।

3/ भारत के नियंत्रक, महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में विभाग से संबंधित कण्डिकाओं पर कार्यवाही ।

4/ लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपकम समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली विभागीय जानकारी / प्रत्युत्तर का सतत अनुश्रवण एवं निर्धारित समय–सीमा में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जाना ।

5/ लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाना ।

6/ शीर्ष स्तरीय समिति को वर्ष में कम से कम दो बार कार्यवाही की प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना ।

कृपया उपरोक्तानुसार विभागीय समितियां पुर्नगठित कर आदेश की प्रतिलिपि महालेखाकार एवं वित्त विभाग एवं विभागीय उप सचिव को पृष्ठांकित करते हुए संर्वसंबंधितों को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(राजेश कौल)
उप सचिव
म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग

5-5-2011

पृ0कमांकः 1267/1570/2011/1/4 भोपाल, दिनांकः 16/05/2011

प्रतिलिपिः—

1/ प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यक आडिट) म0प्र0 ग्वालियर की ओर आपका अर्द्व शास. पत्र कमांक/पीएजी/121, दि0 6/10/2010 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

2/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

3/ वरिष्ठ उप महालेखाकार /उप महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

5-5-2011